नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक- 01
ORDER – SHEET (contd.)

date of order or Proceeding Necessar	Order or Proceeding with Signature of Presiding officer	Signature of Parties Pleader where Necessar
09.09.2023	यह प्रकरण आज आयोजित नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.09.2023 को उभयपक्षों की सहमति से राजीनामा हेतु नेशनल लोक अदालत मे रखा गया है। राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० उपस्थित नहीं। प्रकरण में आज आरोपी/गण....सुरेश यादव उर्फ पिन्टू...एवं प्रकरण के प्रार्थी/आहतगण....प्रदीप फूहान.......................................आज स्वतः न्यायालय मे अपने अधिवक्ता श्री ..रामलाल उरोंडे.. सहित उपस्थित है। प्रकरण मे प्रार्थी/आहतगण को घटना के संबंध मे आयी हुई चोटों का प्रकरण मे संलग्न मुलाहिजा पत्रक से मिलान किया गया। प्रकरण मे उभयपक्षों का राजीनामा आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य मे दिनांक 09.09.2023 को भरा जाकर उभयपक्षों का हस्ताक्षर करवाया, तथा उभयपक्षों की पहचान श्री..रामलाल उरोंडे.. अधि० के द्वारा की गयी है। आरोपी/गण पर थाना.....लानोरा........................ के द्वारा **धारा** ....294, 323, 506 B.........................**भा०द०वि०** के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त **धारा** ....323.................. **भा०द०वि०** का अपराध शमनीय प्रकृति का है एवं उपरोक्त **धारा** ...294, 506 B...... **भा०द०वि०** का अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय प्रकृति का अपराध है। उभयपक्ष को उपरोक्त अपराध धारा के संबंध राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है । प्रकरण मे उभयपक्षों के द्वारा राजीनामा के परिप्रेक्ष्य मे आज पूछे जाने पर उनके द्वारा बिना डर, दबाव, प्रलोभन के राजीनामा करना बताया गया है। अतः उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षों के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रकरण मे संलग्न किया गया है जिसका मिलान उपस्थित प्रार्थी/गण/आरोपी/गण से किया गया। प्रकरण मे **आरोपी/गण**....सुरेश यादव उर्फ पिन्टू....................................... को भा०द०वि० की **धारा** .....294, 323, 506B..................... **भा०द०वि०** के अपराध मे	प्रदीप सुरेश

Date of order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding officer	Signature of Party, Pleader where Necessary

राजीनामा के आधार पर **दोषमुक्त** किया जाता है। आरोपी/गण को जमानत मुचलका से उन्मुक्त किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं/ जप्तशुदा संपत्ति एक बांस का डण्डा, सरई लकड़ी का डण्डा, सरई लकड़ी का डण्डा अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावें।

अवार्ड की सत्यप्रतिलिपि उभयपक्षों को निशुल्क प्रदान किया गया।

प्रस्तुतकार को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण समयावधि के भीतर रिकार्ड रूम जिला कोण्डागांव मे जमा करें

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

09/09/2023

हस्ताक्षर

09/09/23

सदस्य

(कु. अंजली सिंह)
पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत
खण्ड पीठ कमांक–01
केशकाल जिला कोण्डागांव छ.ग.